लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *30
21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र और परिधान क्षेत्र

***30. श्री हँसमुख भाई सोमाभाई पटेल:**
श्री विवेक ठाकुर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात संबंधी तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के वस्त्र निर्यात पर प्रशुल्क संबंधी उपायों और भू-राजनीतिक व्यवधानों सहित हाल के वैश्विक व्यापार घटनाक्रमों के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी चुनौतियों को कम करने और निर्यात प्रतिस्र्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्रीय कर और उद्धरण छूट (आरओएससीटीएल) योजना के अंतर्गत सहायता और बाजार विविधीकरण के प्रयासों सहित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आपूर्ति श्रृंखला की समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने, वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाने और वस्त्र निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए अपनाई गई कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एकविवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 21.07.2026 को श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल और श्री विवेक ठाकुर द्वारा पूछे गए लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *30 "वस्त्र और परिधान क्षेत्र" के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): वैश्विक प्रतिकूलताओं और जियो-पॉलिटिकल व्यवधानों के उपरांत भी हस्तशिल्प सहित वस्त्रों और परिधानों का भारत का निर्यात 2025-26 में 3,25,339 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में 3,19,573.2 करोड़ रुपये से 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस)

सरकार ने वस्त्र और अपैरल क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और निर्यात क्षमता को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएँ और पहलें लागू की हैं। इनमें पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल पार्क (पीएम मित्र) योजना, वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना, और निर्यात संवर्धन मिशन के तहत बाजार पहुंच सहायता और ब्याज छूट सहित विभिन्न घटकों की शुरुआत शामिल है।

इसके अलावा, वस्त्र और अपैरल निर्यात को सहायता प्रदान करने और उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हाल ही में कई उपाय किए गए हैं। इनमें 30 सितंबर 2026 तक निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी) योजना का विस्तार; 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कस्टम टैरिफ मद 5201 के तहत आने वाले कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी से अस्थायी छूट; मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) मूल्य श्रृंखला में मुख्य इनपुट, जैसे प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए) और मोनो-एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) पर कस्टम ड्यूटी से अस्थायी छूट; एमएमएफ मूल्य श्रृंखला में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जीएसटी दरों का युक्तिकरण; तथा पश्चिम एशिया की बदलती जियो-पॉलिटिक्ल परिस्थितियों एवं खाड़ी क्षेत्र तथा उससे सटे समुद्री मार्गों पर पड़ रहे प्रभाव के कारण उत्पन्न समुद्री लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं से प्रभावित निर्यातकों की सहायता हेतु निर्यात सुविधा के लिए रेजिलेंस एवं लॉजिस्टिक्स पहल (रिलिफ) का शुभारंभ शामिल है।

राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) योजना, मार्च 2019 से लागू है, जो इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात पर एम्बेडेड राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट प्रदान करती है। इन क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए नीतिगत पूर्वानुमान और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए योजना को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने निर्यात संवर्धन तथा बाज़ार विविधीकरण के उद्देश्य से 40 प्राथमिकता वाले देशों को शामिल करते हुए एक लक्षित रणनीति भी अपनाई है। भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) सहित सोलह मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पहले से ही लागू हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, जबकि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को अपने निर्यात को बढ़ाने और बाजार विविधीकरण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

सामूहिक रूप से, इन उपायों ने निर्यात बाजारों में विविधता लाने, आपूर्ति-श्रृंखला रेजिलेंस को मजबूत करने, ई-कॉमर्स के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार करने और भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता की है।
